विवरणिका

PROSPECTUS

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना।

BIHAR BOARD OF OPEN SCHOOLING & EXAMINATION(BBOSE), PATNA

बिहार सरकार

Scanned with OKEN Scanner

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड को अपनी पसंद बनाने के पाँच कारण

1. सीखने की स्वतंत्रताः

'मुक्त शिक्षा सर्वत्र शिक्षा' के उद्देश्य के साथ बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड सीखने की स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करता है, अर्थात क्या सीखना है, कैसे सीखना है और कब परीक्षा में बैठना है, आदि का निर्णय आप करेंगे। समय, स्थान और सीखने की गति के लिए कोई बंदिशे नहीं हैं।

2. सुविधायेंः

BBOSE निम्नलिखित सुविधायें देता हैः

- अध्ययन योजना– उतीर्ण होने के मापदंड को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पंसद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं।
- प्रवेश– आप कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्ययन केंद्रों के माध्यम से सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
- परीक्षा– सार्वजनिक परीक्षायें वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। आपको 5 वर्ष में नौ बार परीक्षा में बैठने के अवसर प्राप्त होते हैं। आप जब तैयार हो जायें तब परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

3. प्रासंगिकताः

BBOSE के पाठ्यक्रम कार्य आधारित, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई और भावी अध्ययन के लिए मार्ग प्रशस्त करनेवाले हैं। इस बोर्ड से उतीर्ण होंने के उपरांत आप किसी भी शिक्षण एवं प्रौद्यौगिकी/तकनीकी संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

4. क्रेडिट स्थानांतरणः

BBOSE शिक्षार्थियों के ज्ञान एवं उपलब्धियों को महत्व देता है चाहे वे जिस किसी भी बोर्ड से प्राप्त किये गए हों। इस योजना के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उतीर्ण किए गए अधिकतम दो विषयों के प्राप्तांकों के क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा है। कोई विद्यार्थी जो किसी भी बोर्ड से अनुत्तीर्ण हो परंतु किसी एक विषय में भी उतीर्ण हो, इस योजना का लाभ उठाते हुए माध्यमिक/उच्च माध्यमिक का प्रमाणपत्र हासिल कर सकता है।

5. मान्यताप्राप्त गुणात्मक शिक्षा :

BBOSE गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। बिहार एवं भारत सरकार ने इस संस्थान को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षायें आयोजित करने एवं प्रमाणपत्र देने का अधिकार प्रदान किया है जो अन्य बोर्डों यथा I.C.S.E., C.B.S.E, B.S.E.B, NIOS आदि के द्वारा निर्गत प्रमाणपत्रों के समान है।

Scanned with OKEN Scanner

विवरणिका

PROSPECTUS

माध्यमिक
तथा
उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना।

BIHAR BOARD OF OPEN SCHOOLING & EXAMINATION (BBOSE), PATNA

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर
न्याय नगर, मीठापुर पटना - 800001

Chanakya National Law University Campus
Nyaya Nagar, Mithapur, Patna - 800001

Website : www.bbose.org
Email ID: info@bbose.org

Phone No.: 0612-2355668 / 2355573 / 2355563
Fax No.: 0612-2355662

बिहार सरकार

Scanned with OKEN Scanner

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना

Bihar Board Of Open Schooling & Examination (BBOSE), Patna

Scanned with OKEN Scanner

गिरिवर दयाल सिंह भा0प्र0से0
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण
एवं परीक्षा बोर्ड

शुभकामना संदेश

प्रिय शिक्षार्थी,

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि वर्त्तमान अकादमिक वर्ष में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रमों से संबधित नये विवरणिका को प्रकाशित किया गया है। शिक्षार्थीगण इसे अच्छी तरह से पढ़ने एवं समझने के उपरांत ही पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भरेंगे, ऐसी अपेक्षा है।

विदित हो कि इस बोर्ड की स्थापना शिक्षा से अभिवंचितों को स्नातकपूर्व स्तर की शिक्षा प्रदान कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक निर्बाध रूप से यह कार्य कर रहा है। यह उल्लेखनिय है कि इस नये सत्र में बोर्ड ने भविष्य में प्रविष्ट होनेवाले शिक्षार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए बिहार के सभी राजकीय, राजकीयकृत एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों को अध्ययन केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। टी0ओ0सी0 के अंतर्गत प्रवेश लेनेवाले शिक्षार्थी किसी भी सत्रांत परीक्षा में आयोजन की तिथी से 15 दिन पूर्व प्रवेश लेकर तत्काल परीक्षा में बैठ सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पी0सी0पी0) सुदृढ़ किया जा रहा है एवं अध्ययन केंद्रों पर अनिवार्य रूप से इसे संचालित करना सुनिश्चित किया गया है।

अभी तक बोर्ड द्वारा माध्यमिक (10वीं) एवं उच्च माध्यमिक (12वीं) पाठ्यक्रमों के संचालन एवं परीक्षाओं का आयोजन सफलतापूर्वक करने के लिए मैं कर्मियों को उनकी कटिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूँ।

यह कहना भी प्रांसगिक होगा कि इस बोर्ड के संचालन में बिहार सरकार का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में उतीर्ण शिक्षार्थियों ने देश के ख्यातिप्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों, विशेषकर तकनीकी संस्थानों में प्रवेश लिया है, हम उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं।

इस अवसर पर मैं पुन: शिक्षार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ कि आप बोर्ड को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

शुभकामनाओं सहित।

गिरिवर दयाल सिंह

Scanned with OKEN Scanner

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना

मुक्त शिक्षा

सर्वत्र शिक्षा

Bihar Board Of Open Schooling & Examination (BBOSE), Patna

Scanned with OKEN Scanner

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड: परिचय	1-2
	1.1 भूमिका	
	1.2 बोर्ड की मान्यता	
	1.3 बोर्ड के उद्देश्य	
	1.4 बोर्ड का कार्यालय	
	1.5 बोर्ड का वेबसाईट	
2.	पंजीयन/ अध्ययन केंद्र	3
3.	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षार्थियों का पंजीयन	3-5
	3.1 पंजीयन के लिए पात्रता	
	3.2 पंजीयन की श्रेणी	
	i. प्रथम पंजीयन एवं उसकी वैधता (First Registration &It's Validity)	
	ii. टी० ओ० सी० (Transfer of Credit) योजना	
	iii. आंशिक पंजीयन (Partial Registration)	
	iv. पुन: पंजीयन (Re-Registration)	
	v. उन्नयन हेतु पंजीकरण (Registration for Improvement)	
	3.3 पंजीयन के लिए आयु संबंधी प्रमाणपत्र	
4.	प्रवेश प्रक्रिया एवं पंजीयन शुल्क	6-7
	4.1 पंजीयन एवं प्रवेश का सत्र	
	4.2 पंजीयन की प्रक्रिया	
	4.3 पंजीयन शुल्क का विवरण	
5.	पाठ्यक्रम	8-10
	5.1 माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम	
	5.2 उच्च माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम	
	5.3 पंजीयन के समय चयनित विषयों में परिवर्तन	
	5.4 विषयों के चयन में परामर्श	
6.	अध्ययन की प्रक्रिया	11-12
	6.1 स्व- अध्ययन सामग्रियाँ	
	6.2 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पी0सी0पी0)	
	6.3 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम की उपयोगिता एवं अनिवार्यता	

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-3 पर)। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली (Association of Universities, New Delhi-AIU) के पत्रांक संख्या EV/11/354/2012 दिनांक 20.03.2012 द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई है (देखें परिशिष्ट-2 पर)।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रमण्डल मुक्त विद्यालयी संघ (COMMONWEALTH OPEN SCHOOL ASSOCIATION- COMOSA) के द्वारा भी इस बोर्ड को सदस्यता प्रदान की गयी है।

अत: इस बोर्ड के द्वारा प्रदत प्रमाण-पत्र, सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं नियोजन प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से वैध है।

1.3 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के उद्देश्य (Aims & Objectives of BBOSE):

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का गठन सभी को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। फलत: निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यह बोर्ड कृतसंकल्प है:

- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षा का सार्वजनीकरण करना।
- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा को वहन योग्य (Affordable) बनाते हुए सुलभता से उपलब्ध कराना।
- औपचारिक शिक्षा से वंचित वर्ग तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा की पहुँच बनाना।
- किसी कारणवश जिन शिक्षार्थियों की विद्यालयी शिक्षा अधूरी रह गयी है, उन्हें भी स्नातक से पूर्व स्तर की शिक्षा प्रदान करना।
- वैसे लोग जो अधिक उम्र के कारण औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने में संकोच करते हैं उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्रदान करना।

1.4 बोर्ड का कार्यालय (Office of the Board):

सम्प्रति, यह बोर्ड चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। इसका पूरा पता अधोलिखित है:-

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड,
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर,
न्याय नगर, मीठापुर, पटना-800001.
दूरभाष संख्या- 0612-2355668, फैक्स नं.-0612-2355662

1.5 वेबसाइट (Website):

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की अपनी वेबसाइट है: www.bbose.org

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षार्थी द्वारा इस वेबसाइट से पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, परीक्षा केन्द्रों की सूची, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रमों का ब्योरा, प्रवेश-सह-अध्ययन केन्द्रों की सूची, व्यक्तिगत सम्पर्क कक्षाओं से संबंधित सूचनाएँ, आयोजित होने वाली परीक्षा की समय-सारणी एवं परीक्षा परिणाम आदि की जानकारी एवं अन्य आवश्यक सूचनाएँ भी प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा निम्नांकित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं:-

* कक्षा 10 वीं के लिए माध्यमिक पाठ्यक्रम
* कक्षा 12 वीं के लिए उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम

2. पंजीयन/अध्ययन केन्द्र

(Registration/Study Centre)

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए राज्य के सभी राजकीय, राजकीयकृत एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रवेश-सह-अध्ययन केन्द्र हैं। सभी अध्ययन केन्द्रों की जिलावार सूचि बोर्ड के बेवसाईट www.bbose.org पर देखा जा सकता है।

इन केन्द्रों पर प्रवेश के उपरांत व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (Personal Contact Programme-PCP) के तहत व्यक्तिगत संपर्क कक्षाएँ (Personal Contact Classes-PCC) आयोजित की जाती है। फलत: इस विवरणिका में जहाँ कहीं भी पंजीयन केन्द्र का उल्लेख है, उससे प्रवेश-सह-अध्ययन केन्द्र का भी बोध होता है। इन केन्द्रों के अतिरिक्त यदि शिक्षार्थी चाहें तो BBOSE के कार्यालय में आकर अथवा इसके वेबसाईट www.bbose.org के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं।

3. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षार्थियों का पंजीयन

(Registration of Secondary/Higher Secondary Students)

वर्तमान में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना में दो प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित हैं-

1. कक्षा 10वीं के लिए माध्यमिक
2. कक्षा 12वीं के लिए उच्च माध्यमिक

3.1 पंजीयन के लिए पात्रता (Eligibility for Registration):

- माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रत्येक नामांकन सत्र के अंतिम तिथि (प्रत्येक वर्ष के 28 फरवरी एवं 31 अगस्त) को न्युनतम आयु 14 वर्ष की हो। अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

- उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए माध्यमिक उतीर्ण शिक्षार्थी पंजीयन कराने के लिए पात्र होगा।

3.2 पंजीयन की श्रेणी (Category of Registration):

i. प्रथम पंजीयन उवं उसकी वैधता (First Registration and It's Validity):

सामान्य नामांकन अतंर्गत जब शिक्षार्थी पहली बार अपना पंजीयन करवाते हैं तो यह उनकी पंजीयन कहलायेगी तथा उस तिथि से यह पाँच वर्षों तक मान्य होगी। इस अवधि में शिक्षार्थी अधिकतम नौ बार ही सार्वजनिक परीक्षा में शामिल हो सकता है।

ii. टी.ओ.सी. पंजीयन योजना (T.O.C. Registration Scheme):

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के अतंर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर टी0ओ0सी0 (Transfer of Credit) योजना का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत वैसे शिक्षार्थी पंजीयन के पात्र होंगे जो पंजीयन की तिथि से 5 वर्षों के अंदर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और कम से कम 1 विषय में उतीर्ण हैं परंतु पाठ्यक्रम उतीर्ण नहीं कर पाये हैं।

इस योजना के तहत निम्नलिखित सुविधाए प्रदान की जाती हैं:-

- जिन विषयों में वे उतीर्ण हैं उनमें से किसी एक अथवा दो विषयों (शिक्षार्थी की इच्छा से) के लब्धांकों का Transfer of Credit किया जाता है तथा शेष विषयों (अधिकतम चार एवं न्यूनतम तीन) की परीक्षा दे सकेंगे।
- वे चाहे तो विषयों को बदलकर भी परीक्षा में बैठ सकते हैं।

iii. आंशिक पंजीकरण (Partial Registration):

इसके तहत वैसे शिक्षार्थी पंजीयन करा सकते हैं जो राज्य/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक के समतुल्य परीक्षा उतीर्ण हों परंतु किसी अन्य विषय की परीक्षा भी देना चाहते हैं तो अधिकतम दो विषयों का चयन कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

इसके अंतर्गत प्रमाण पत्रों में सुधार नहीं किया जाएगा। केवल लब्धांक पत्र (Marks sheet) ही देय होगा।

iv. पुनः पंजीयन (Re-Registration):

वैसे शिक्षार्थी जो BBOSE के प्रथम पंजीयन के दौरान पाँच वर्ष अथवा नौ अवसरों में उतीर्ण होने में सफल नहीं हो पाते हैं तो उन्हें फिर से पंजीयन कराना होगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा कर वे पुनः पाँच वर्षों में नौ अवसरों में उतीर्ण हो सकते हैं।

इसके तहत उन्हें केवल अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा देने की सुविधा प्राप्त है तथा

Scanned with OKEN Scanner

उत्तीर्ण विषय के अंकों का क्रेडिट स्थानांतरण किया जा सकेगा।

v. **उन्नयन हेतु पंजीकरण (Registration for Improvement)**

वैसे शिक्षार्थी जो बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना में सामान्य नामांकन हेतु पंजीकरण कराकर उत्तीर्ण हो चुके हैं लेकिन लब्धांकों में उन्नयन (Improvement) के लिए पुनः परीक्षा में शामिल होना चाहते हों, पुनः पंजीयन कराकर परीक्षा में एक बार शामिल हो सकते हैं।

3.3 पंजीयन के लिए आयु संबंधी प्रमाण-पत्र (Certificate Regarding the Date of Birth for Registration):

पाठ्यक्रम में पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय संबंधित शिक्षार्थी को अपनी आयु के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा:-

i. यदि शिक्षार्थी किसी विद्यालय में अध्ययनरत था तो उस विद्यालय द्वारा जारी किया गया विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। बिहार के अलावा अन्य राज्यों के शिक्षार्थीयों के द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला यह प्रमाण पत्र संबंधित जिला/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

अथवा

ii. रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति की स्वसत्यापित प्रति

अथवा

iii. राजकीय चिकित्सालय से जारी जन्म प्रमाण-पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति।

अथवा

iv. शिक्षार्थी एवं माता-पिता+ अभिभावक द्वारा शिक्षार्थी की जन्म तिथि के बारे में प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। यह प्रथमश्रेणी के दंडाधिकारी/ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत होना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रवेश प्रक्रिया एवं पंजीयन शुल्क

(Procedure of Enrollment & Registration Fee)

4.1 पंजीयन एवं प्रवेश का सत्र (Session for Registration and Enrollment): एक अकादमिक वर्ष में दो पंजीयन सत्र होंगे।

(i) प्रथम पंजीयन सत्र 01 मार्च से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इसकी सार्वजनिक परीक्षा अगले वर्ष के जून-जुलाई माह से प्रारंभ होगी।

(ii) दूसरा सत्र 01 सितंबर से प्रारंभ होकर अगामी वर्ष की 28/29 फरवरी तक चलेगा। इसकी सार्वजनिक परीक्षा अगले वर्ष के दिसम्बर-जनवरी माह से प्रारंभ होगी।

4.2 पंजीयन प्रक्रिया (Registration Procedure):

(i) पंजीयन के लिए इच्छुक शिक्षार्थी, अध्ययन केन्द्र पर अथवा मुख्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीयन करा सकते हैं।

(ii) शिक्षार्थी को पंजीकरण हेतु विवरणिका के परिशिष्ट-5 पर दिये गये विहित पंजीयन आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) में आवेदन करना होगा।

(iii) विवरणिका में संलग्न पंजीयन आवेदन पत्र के स्थान पर बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट से भी पंजीयन हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

नोट- उपर्युक्त सभी प्रकार की स्थिति में विवरणिका का मूल्य रूपये पचास मात्र भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(iv) अध्ययन केन्द्र पर पंजीयन के लिए निर्धारित शुल्क के साथ, पूरी तरह से भरे हुए पंजीयन आवेदन पत्र की मूल प्रति वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति सहित जमा करना अनिवार्य है। इसके साथ दूसरी प्रति भी जमा करवाना होगा जिसे पंजीयन केन्द्र पर संधारित किया जाएगा।

(v) अध्ययन केन्द्र पर जमा किए गये पंजीयन आवेदन पत्र और पंजीयन शुल्क के भुगतान के पश्चात् अध्ययन केन्द्र द्वारा पावती पत्र दिया जाएगा और पंजीयन केन्द्र द्वारा सभी पंजीयन आवेदन पत्रों को वसूल किए गए शुल्क सहित (बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में) समेकित विवरणी के साथ बोर्ड को भेजा जाएगा। शिक्षार्थी के प्रवेश की स्वीकृति के उपरांत पहचान-पत्र (I-Card) निर्गत किया जायेगा। इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

4.3 पंजीयन शुल्क विवरण (Details of Registration Fee):

प्रथम /पुनः पंजीकरण एवं नामांकन शुल्क पाँच विषयों के लिए-

क्रम सं.	विवरण	माध्यमिक पाठ्यक्रम	उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम
01.	आवेदन शुल्क (सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से देय)	रू. 50/-	रू. 50/-
02.	पंजीयन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए	रू.1000/-	रू. 1150/-
	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/पिछड़ा वर्ग के लिए	रू. 550/-	रू. 600/-
	महिला शिक्षार्थियों के लिए	रू. 750/-	रू. 825/-
	दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए	रू. 750/-	रू. 825/-
	भूतपूर्व सैनिक शिक्षार्थियों के लिए	रू. 750/-	रू. 825/-

ii. अन्य अकादमिक (आंशिक पंजीयन/क्रेडिट स्थानांतरण/विषय परिवर्तन) शुल्कों का विवरण:

03.	व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (PCP)	प्रति विषय रू. 30/- की दर से	प्रति विषय रू. 30/- की दर से
04.	प्रायोगिक विषयों के लिए	प्रति विषय रू. 30/- की दर से	प्रति विषय रू. 30/- की दर से
05.	अग्रेशन शुल्क	रू. 25/-	रू. 25/-
06.	पहचान पत्र शुल्क	रू. 10/-	रू. 10/-
07.	अतिरिक्त विषयों हेतु प्रति विषय	रू. 130/-	रू. 160/-

iii. क्रेडिट स्थानांतरण (टी.ओ.सी.) के लिए देय- (विवरणिका शुल्क रु. 50/- के अतिरिक्त)

08.	पंजीयन शुल्क	रू. 200/-	रू. 200/-
09.	अंक स्थानांतरण शुल्क (अधिकतम 2 विषयों के लिए)	प्रति विषय रू. 50/- की दर से	प्रति विषय रू. 50/- की दर से
10.	नामांकन शुल्क (अधिकतम 4 एवं न्यूनतम 3 विषयों के लिए	प्रति विषय रू. 140/- की दर से	प्रति विषय रू. 170/- की दर से
11.	प्रायोगिक विषयों के लिए	प्रति विषय रू. 30/- की दर से	प्रति विषय रू. 30/- की दर से
12.	अग्रेशन शुल्क	रू. 25/-	रू. 25/-
13.	पहचान पत्र शुल्क	रू. 10/-	रू. 10/-

iv. परीक्षा शुल्क

	सैद्धांतिक परीक्षा शुल्क	प्रति विषय रू. 165/- की दर से	प्रति विषय रू. 165/- की दर से
	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क	प्रति विषय रू. 80/- की दर से	प्रति विषय रू. 80/- की दर से

v. केवल विषय परिवर्तन/अतिरिक्त विषय के लिए देय-

क्रम सं.	विवरण	माध्यकि पाठ्यक्रम	उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम
5.3	विषय परिवर्तन/अतिरिक्त विषय हेतु शुल्क	प्रति विषय रू. 280/- की दर से	प्रति विषय रू. 340/- की दर से

Scanned with OKEN Scanner

vi. पुनः पंजीयन, आंशिक पंजीयन एवं उन्नयन हेतु पंजीकरण वाले शिक्षार्थियों को सामान्य नामांकन के प्रावधान के अनुसार शुल्क देय होगा।

5. पाठ्यक्रम

(Course of Studies)

5.1 माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम (Course of Studies at the Secondary Level):

इस स्तर पर कुल 18 विषयों को रखा गया है जिनमें से 5 विषयों का चयन करना अनिवार्य है। विषयों का चयन तालिका-1 पर अंकित विषयों में से किया जा सकता है।

i. समूह 'क'- भाषा एवं साहित्य से संबंधित 9 (नौ) विषयों को रखा गया है। इनमें से कम से कम एक तथा अधिक से अधिक दो विषयों को अनिवार्य विषय के रूप में चयन किया जा सकता है। यदि विद्यार्थी इस समूह से दो से अधिक विषयों का चयन करना चाहते हैं तो वे अतिरिक्त विषय के रूप में ऐसा कर सकते हैं।

ii. समूह 'ख' - इस समूह में नौ विषयों को रखा गया है। इनमें से कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 4 विषयों का चयन अनिवार्य विषय के रूप में किया जा सकता है।

नोट:- 1. दोनों समूहों में से किसी से 2 अतिरिक्त विषय का चयन किया जा सकता है।

अथवा 2. प्रत्येक समूह से 1-1 विषय का चयन अतिरिक्त विषय के रूप में किया जा सकता है।

3. भाषा से कोई तीसरा विषय अतिरिक्त विषय के रूप में ही लिया जा सकता है।

माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम अंतर्गत विषयों की तालिका

विषय तालिका -1

समूह -'क'		समूह -'ख'	
कोड	**विषयों के नाम**	**कोड**	**विषयों के नाम**
201	हिंदी	215	गणित
202	अंग्रेजी	216	विज्ञान
203	उर्दू	217	सामाजिक विज्ञान
204	संस्कृत	218	योग एवं शारीरिक शिक्षा
205	भोजपुरी	219	व्यवसाय अध्ययन
206	मैथिली	220	गृह विज्ञान
207	बांग्ला	221	बेसिक कम्प्यूटर
208	अरबी	222	भारतीय संस्कृति एवं विरासत
209	फारसी	223	चित्रकला

नोट 1-विषय कोड 216, 218, 220, 221 एवं 223 में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। सैद्धांतिक परीक्षा 85 अंकों की एवं प्रायोगिक परीक्षा 15 अंकों की होती है।

Scanned with OKEN Scanner

5.2 **उच्च माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम (Course of Studies at the Senior Secondary Level):**

इस स्तर पर कुल 28 विषयों को रखा गया है जिनमें से 5 विषयों का चयन करना अनिवार्य है। विषयों का चयन तालिका- 2 पर अंकित विषयों में से किया जा सकता है।

i. समूह 'क' - भाषा एवं साहित्य से संबंधित 9 (नौ) विषयों को रखा गया है। इनमें से कम से कम एक तथा अधिक से अधिक दो विषयों का चयन किया जा सकता है।

ii. समूह 'ख'- इस समूह में 19 (उन्नीस) विषयों को रखा गया है। इनमें से कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 4 विषयों का चयन अनिवार्य विषय के रूप में किया जा सकता है।

नोटः- 1. दोनों समूहों में से किसी से 2 अतिरिक्त विषय का चयन किया जा सकता है।

अथवा 2. प्रत्येक समूह से 1-1 विषय का चयन अतिरिक्त विषय के रूप में किया जा सकता है।

3. भाषा से कोई तीसरा विषय अतिरिक्त विषय के रूप में ही लिया जा सकता है।

उच्च माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम अंतर्गत विषयों की तालिका

विषय तालिका-2

समूह - 'ए'		समूह -'बी'	
कोड	**विषयों के नाम**	**कोड**	**विषयों के नाम**
301	हिंदी	310	गणित
302	अंग्रेजी	311	भौतिक विज्ञान
303	संस्कृत	312	रसायन विज्ञान
304	उर्दू	313	जीव विज्ञान
305	भोजपुरी	314	इतिहास
306	मैथिली	315	भूगोल
307	बांग्ला	316	राजनीतिक विज्ञान
308	अरबी	317	अर्थशास्त्र
309	मगही	318	व्यवसाय अध्ययन
		319	लेखाशास्त्र
		320	गृह विज्ञान
		321	मनोविज्ञान
		322	कम्प्यूटर विज्ञान
		323	समाजशास्त्र
		324	शिक्षा
		325	दर्शनशास्त्र
		326	चित्रकला
		327	संगीत
		328	योग एवं शारीरिक शिक्षा

Scanned with OKEN Scanner

नोट 1- विषय कोड 311, 312, 313, 320, 321, 326, 327 एवं 328 में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों प्रकार की परीक्षाएं होती है। सैद्धांतिक परीक्षा 80 अंकों की एवं प्रायोगिक परीक्षा 20 अंकों की होती है।

5.3 पंजीयन के समय चयनित विषयों में परिवर्तन (Change in the subject choosen at the time of Registration):

शिक्षार्थी द्वारा एक बार पंजीयन के समय लिए गए विषयों में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं प्रथम परीक्षा उन्हीं विषयों की देनी होगी जिनका चयन उन्होंने पंजीयन के समय किया है। एक वर्ष बाद उस प्रवेश सत्र की प्रथम परीक्षा की समाप्ति के बाद विषयों में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान कर विषयों में परिवर्तन किया जा सकता है।

इस प्रावधान के अतंर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए विषय में परिवर्तन क्रमशः **रूपये 280/- एवं रूपये 340/- प्रति विषय की दर से शुल्क** आवेदन पत्र के साथ भुगतान करना होगा।

नोट: बिना बोर्ड की स्वीकृति के चयनित विषयों से भिन्न विषयों की परीक्षा देने पर परीक्षाफल लंबित हो जाएगा।

5.4 विषयों के चयन में परामर्श (Advice for selection of subjects):

मुक्त शिक्षा प्रणाली में विषयों के चयन में कोई बंधेज नहीं है परंतु अभियंत्रण/ चिकित्सा/ वाणिज्य/ प्रबंधन संकाय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक शिक्षार्थियों को उचित विषय समूहों का चयन करना चाहिए।

अभियंत्रण में कैरियर के लिए गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान का चयन करना आवश्यक है। चिकित्सा के क्षेत्र के लिए जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान एवं रसायन विज्ञान का चयन करना आवश्यक है।

इसी प्रकार से वाणिज्य/प्रबंधन संकाय के लिए वाणिज्य एवं लेखा विषयों का चयन करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. अध्ययन की प्रक्रिया
(Mode of Study)

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं अध्ययन करना है। शिक्षार्थियों के स्व-अध्ययन में सहयता प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा विकसित की गई अध्ययन सामग्रियों को पुस्तकों के रूप में पंजीयन के समय नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। यदि शिक्षार्थियों को स्व-अध्ययन में कठिनाईयाँ आती हैं तो बोर्ड द्वारा उसके समाधान के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (Personal Contact Programme) का आयोजन बोर्ड के राज्य भर में स्थित पंजीयन-सह-प्रवेश-सह-अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है।

इस प्रकार से देखा जाए तो बोर्ड अपने शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक परीक्षाओं की तैयारी में सहायता प्रदान तो करता ही है, साथ ही पी0सी0पी0 कार्यक्रम के तहत प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करता है।

बोर्ड द्वारा शिक्षार्थियों की सहायता एवं परामर्श के लिए निम्नवत् प्रयास किए गए हैं:-

6.1 **स्व- अध्ययन सामग्रियाँ (Self Study Materials):** BBOSE पंजीकृत शिक्षार्थियों को स्व-अध्ययन सामग्रियाँ नि:शुल्क उपलब्ध कराता है। ये सामग्रियाँ पंजीयन केन्द्रों के माध्यम से नामांकन के समय ही उपलब्ध करा दी जाती है। ये केवल हिंदी भाषा में ही उपलब्ध हैं।

6.2 **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम- पी0सी0पी0 (Personal Contact Programme):**

BBOSE द्वारा सभी पंजीयन केन्द्रों पर अध्ययन प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पंजीकरण के प्रथम सत्र में 30 दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम संचालित किया जायेगा जिसमें सभी विषयों के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों के लिए अनुसमर्थन एवं परामर्श प्रदान कराये जाने का प्रावधान है। इसके लिए प्रत्येक विषय हेतु 10 घंटे आवंटित होंगे। इसके लिए समेकित कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

- शिक्षार्थियों को पत्र/समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी। अत: शिक्षार्थियों को इसके लिए अध्ययन केन्द्र से निरंतर संपर्क बनाये रखना चाहिए।
- केन्द्रों पर आयोजित होनेवाली व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों की जानकारी बोर्ड के वेबसाईट www.bbose.org पर भी दी जाएगी।
- प्रत्येक पंजीयन केंद्र पर व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- अध्ययन केंद्र पर जिन विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे वहाँ उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जवाबदेही संबंधित समन्वयक की होगी।

Scanned with OKEN Scanner

6.3 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम की उपयोगिता एवं अनिवार्यता (Utility & Necessity of Personal Contact Programme): इस कार्यक्रम में भाग लेने की अनिवार्यता नहीं है। किसी विद्यार्थी के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पी0सी0पी0 कार्यक्रम में भाग लिया अथवा नहीं। यह उसकी इच्छा एवं आवश्यकता पर है कि वह भाग ले। इस कार्यक्रम में सहभागिता नहीं होने पर किसी प्रकार का कोई दंड अथवा हानि का प्रावधान भी नहीं है।

यह कार्यक्रम केवल पठन-पाठन की कठिनाईयों के समाधान हेतु एक परामर्शी के रूप में है। इसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लेने का भी प्रावधान नहीं है।

6.4 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन में शिक्षार्थियों से अपेक्षायें (Expectation from learners for successful conduct of P.C.P): BBOSE एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत कार्य करता है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली की भाँति प्रत्येक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कक्षाओं का आयोजन करना संभव नहीं है। अत: शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उनको उपलब्ध कराई गई स्व-अध्ययन सामग्रियों को भली भाँति अध्ययन करके समझ लें तथा कठिन बिंदुओं (Hard Spot) को चिन्हित कर लें।

पी0सी0पी0 के दौरान इन्हीं कठिन बिंदुओं के समाधान तथा प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें तथा अपने परामर्शी शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य सहपाठियों के साथ कठिन बिंदुओं पर समूह चर्चा कर तथ्यों को आत्मसात् करने हेतु भी इस कार्यक्रम का उपयोग किया जा सकता है।

शिक्षक निर्देशित कार्य (Tutor Marked Assignment) की तैयारी के लिए भी इस कार्यक्रम का उपयोग किया जा सकता है।

6.5 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के सफलता पूर्वक संचालन में अध्ययन केंद्र से अपेक्षायें (Expectations from Studies Centers for successful conduct of P.C.P): अध्ययन केंद्र के समन्वयक द्वारा पी0सी0पी0 के लिए विषयवार समय सारणी तैयार कर उसे सूचना पट (Display Board) पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा इसे शिक्षार्थियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्र द्वारा प्रत्येक कक्षा (Period) में शिक्षार्थियों की उपस्थिति अंकित कराई जाएगी तथा कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत समय-सारणी के साथ इसे भी उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ BBOSE कार्यालय में जमा कराया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

7. परीक्षाओं का आयोजन
(Conduct of Examination)

7.1 सार्वजनिक परीक्षायें (Public Examinations):

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रमों में पंजीकृत शिक्षार्थियों के लिए एक वर्ष में दो बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

(i) प्रथम पंजीकरण सत्र 1 मार्च से 31 अगस्त तक में पंजीयन करानेवाले शिक्षार्थियों की सार्वजनिक परीक्षा अगले वर्ष के जून माह में होगी।

(ii) द्वितीय पंजीयन सत्र 1 सितंबर से अगामी वर्ष की 28/29 फरवरी तक में पंजीयन कराने वाले शिक्षार्थियों की सार्वजनिक परीक्षा अगामी वर्ष के दिसम्बर माह में होगी। नियमित शिक्षार्थियों के अतिरिक्त पूर्व के सत्रों में भी पंजीकृत शिक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण रह गये हों अथवा सम्मिलित नहीं हुए हों, भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। टी.ओ.सी. प्रावधान के अंतर्गत पंजीकृत शिक्षार्थी प्रवेश के उपरांत आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है बशर्ते वह शिक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों पूर्व विधिवत रूप से भरा हुआ परीक्षा आवेदन-पत्र अध्ययन केंद्र के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को प्राप्त करा देता है।

सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व अथवा पश्चात् सुविधानुसार प्रायोगिक परीक्षाएं पंजीयन केंद्र पर आयोजित की जाएगी। सैद्धांतिक परीक्षायें जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला मुख्यालय स्तर पर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित होंगी। सैद्धांतिक परीक्षा केंद्रों में कोई परिवर्तन अपरिहार्य कारणों को छोड़कर कदापि नहीं किया जाएगा।

प्रयोगिक परीक्षा एवं सैद्धांतिक परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित सूचना परीक्षा विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी। इसे वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। डाकपत्र के माध्यम से पंजीयन-सह-अध्ययन केंद्रों को भी इसकी सूचना दी जाएगी। प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रवेश-पत्र के पृष्ठ भाग पर परीक्षा का कार्यक्रम अंकित होगा।

7.2 परीक्षा शुल्क का विवरण (Details of Examination fee):

परीक्षा शुल्क का विवरण निम्नवत् है-

क्र0	परीक्षा शुल्क का विवरण	माध्यमिक स्तरीय	उच्च माध्यमिक स्तरीय
01.	सैद्धांतिक परीक्षा	रू0 165/- प्रति विषय	रू0 165/- प्रति विषय
02.	प्रायोगिक परीक्षा	रू0 80/- प्रति विषय	रू0 80/- प्रति विषय
03.	विलंब शुल्क (फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद 15 दिनों तक)	रू0 200/-	रू0 200/-

Scanned with OKEN Scanner

(i) परीक्षा शुल्क तालिका के अनुसार सभी शिक्षार्थियों द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है एवं निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) परीक्षा के लिए एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में न वापस किया जाएगा और न ही आगामी परीक्षाओं के लिए समायोजित किया जाएगा।

7.3 परीक्षा आवेदन भरने के निर्देश (Directives for filling up the Examination form):

(i) जून और दिसम्बर में आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन प्रपत्र को पंजीयन केंद्र पर, निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित, निर्धारित तिथि के पूर्व जमा करना होगा।

(ii) परीक्षा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात् शिक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र विधिवत रूप से भरकर पंजीकृत अध्ययन केंद्र के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को प्राप्त कराया जा सकता है।

(iii) वैसे शिक्षार्थी जिन्होंने बोर्ड में स्थापित काउंटर में अपना पंजीयन सुविधानुसार अध्ययन केंद्र पर करवाया है, उसे अपने पंजीकृत अध्ययन केंद्र में परीक्षा आवेदन एवं निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई होती है, तो वे बोर्ड में स्थापित काउंटर से सत्यापित कराकर परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क बोर्ड में जमा कर सकते हैं। यह अवसर केवल बोर्ड में स्थापित काउंटर पर पंजीकृत शिक्षार्थी को ही दिया जाएगा।

(iv) पूर्ण रूप से भरे हुए परीक्षा आवेदन के साथ शिक्षार्थी का अद्यतन फोटो 4cm X 3cm के आकार में लगा रहना चाहिए एवं उसके नीचे निर्धारित स्थान पर अंग्रेजी एवं हिंदी में उसे अपना पूरा हस्ताक्षर करना चाहिए। यह हस्ताक्षर वैसा होना चाहिए जैसा कि पंजीयन आवेदन पत्र में किया गया था। इसमें विसंगति रहने पर परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र/ एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा।

(v) यदि कोई शिक्षार्थी एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो वह पुन: परीक्षा में बैठने हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरना होगा एवं परीक्षा शुल्क तालिका-3 के अतंर्गत वर्णित राशि जमा करनी होगी। ऐसा अवसर केवल पंजीयन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि में कुल 9 बार के लिए ही मान्य होगा।

(vi) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शिक्षार्थियों को निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) अध्ययन केंद्र के माध्यम से ही मिलेगा। इसे वेबसाईट www.bbose.org से डाउनलोड भी किया

Scanned with OKEN Scanner

जा सकता है। शिक्षार्थी डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को स्वत: हस्ताक्षरित करके भी सैद्धांतिक परीक्षा केंद्र पर सम्मिलित हो सकते हैं जिसकी सूचना केंद्राधीक्षक को देना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र (Admit Card) में अंकित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन किया जाना चाहिए।

7.4 परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षा का माध्यम (Conduct of Examination and Medium of Examination)

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड में माध्यमिक स्तरीय परीक्षा हेतु 18 विषय व उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा हेतु 28 विषयों को रखा गया है। परीक्षा के लिए माध्यम हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषाओं में से किसी को रखा जा सकता है। भाषायी भाषाओं को छोड़कर किसी अन्य भाषा में परीक्षा देने पर उत्तर पुस्तिका रद्द कर दी जाएगी। यह भी उल्लेखनिय है कि प्रश्न पत्र भाषायी विषयों को छोड़कर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों ही भाषाओं में रहेगा।

7.5 परीक्षा के विषयों के नाम, पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक का विवरण:- (Details of name of subjects for examination, full marks and pass marks)

i. माध्यमिक स्तरीय

समूह- 'क' के विषय

कोड	विषयों के नाम	सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक	प्रायोगिक परीक्षा के पूर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
201	हिंदी	100	00	100	30
202	अंग्रेजी	100	00	100	30
203	उर्दू	100	00	100	30
204	संस्कृत	100	00	100	30
205	भोजपुरी	100	00	100	30
206	मैथिली	100	00	100	30
207	बांग्ला	100	00	100	30
208	अरबी	100	00	100	30
209	फारसी	100	00	100	30

Scanned with OKEN Scanner

समूह- 'ख' के विषय

कोड	विषयों के नाम	सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक	प्रायोगिक परीक्षा के पूर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
215	गणित	100	00	100	30
216	विज्ञान	85	15	100	30
217	सामाजिक विज्ञान	100	00	100	30
218	योग एवं शारीरिक शिक्षा	85	15	100	30
219	व्यवसाय अध्ययन	100	00	100	30
220	गृह विज्ञान	85	15	100	30
221	बेसिक कम्प्यूटर	85	15	100	30
222	भारतीय संस्कृति एवं विरासत	100	00	100	30
223	चित्रकला	85	15	100	30

नोटः- माध्यमिक स्तर पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों को मिलाकर 30 अंक लाने पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

ii. उच्च माध्यमिक स्तरीय

समूह- 'क' के विषय

कोड	विषयों के नाम	सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक	प्रायोगिक परीक्षा के पूर्णांक	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
301	हिंदी	100(30)	00	100	30
302	अंग्रेजी	100(30)	00	100	30
303	संस्कृत	100 (30)	00	100	30
304	उर्दू	100(30)	00	100	30
305	भोजपुरी	100(30)	00	100	30
306	मैथिली	100(30)	00	100	30
307	बांग्ला	100(30)	00	100	30
308	अरबी	100(30)	00	100	30
309	मगही	100(30)	00	100	30

Scanned with OKEN Scanner

कोड	विषयों के नाम	सैद्धांतिक परीक्षा पूर्णांक (उत्तीर्णांक)	प्रायोगिक परीक्षा पूर्णांक (उत्तीर्णांक)	कुल पूर्णांक	उत्तीर्णांक
310	गणित	100(30)	00	100	30
311	भौतिकी	80(24)	20(6)	100	30
312	रसायन विज्ञान	80 (24)	20 (6)	100	30
313	जीव विज्ञान	80(24)	20(6)	100	30
314	इतिहास	100(30)	00	100	30
315	भूगोल	80(24)	20(6)	100	30
316	राजनीतिशास्त्र	100(30)	00	100	30
317	अर्थशास्त्र	100(30)	00	100	30
318	व्यवसाय अध्ययन	100(30)	00	100	30
319	लेखा शास्त्र	100(30)	00	100	30
320	गृह विज्ञान	80(24)	20(6)	100	30
321	मनोविज्ञान	80(24)	20(6)	100	30
322	कंप्यूटर विज्ञान	80(24)	20(6)	100	30
323	समाज शास्त्र	100(30)	00	100	30
324	शिक्षा	100(30)	00	100	30
325	दर्शनशास्त्र	100(30)	00	100	30
326	चित्रकला	80(24)	20(6)	100	30
327	संगीत	80(24)	20(6)	100	30
328	योग एवं शारीरिक शिक्षा	80(24)	20(6)	100	30

नोट:-1. उच्च माध्यमिक स्तर पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्णांक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. सैद्धांतिक परीक्षा का उत्तीर्णांक 24 एवं प्रायोगिक परीक्षा का उत्तीर्णांक 6 है।

7.6 अनुचित साधनों का प्रयोग वर्जित (Prohibitation of the use of unfair means):

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए कृत संकल्प है- जैसा कि विदित है कि ये परीक्षायें ''बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981'' (Bihar Conduct of Examination Act, 1981) के प्रावधान के अनुसार आयोजित की जाती है। अत: परीक्षा में अनुचित साधनों, अनुशासनहीनता एवं कदाचार का प्रयोग करने पर शिक्षार्थियों को दंडित किया जाएगा। इसके लिए बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रण समिति का गठन

Scanned with OKEN Scanner

किया गया है जिसकी अनुशंसा पर दंड दिया जाएगा।

परीक्षा के दौरान शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर वांछित विवरण जैसे परीक्षा क्रमांक/पंजीयन इत्यादि सही भरना चाहिए। गलत ढंग से लिखने पर परीक्षाफल लंबित हो जाएगा। उत्तरपुस्तिका में किसी प्रकार का चिन्ह बनाना, उत्तरपुस्तिका को रंगना, उत्तरपुस्तिका पर नाम इत्यादि लिखना या करेंसी नोट लगाना आदि कदाचार है और इन कदाचार के मामले में कदाचार नियंत्रण समिति द्वारा लिया गया निर्णय शिक्षार्थी को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेशपत्र में अंकित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

7.7 परीक्षाफल का प्रकाशन, अंक तालिका और प्रमाण पत्र निर्गत करना (Publication of Result and Issuance of Marksheet and Certificate):

- परीक्षाफल का प्रकाशन सामान्यतः परीक्षा की समाप्ति के उपरांत 40 दिनों के अंदर किया जाएगा। परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षार्थियों को अंक तालिका, प्रमाण पत्र एवं स्थानांतरण-सह-प्रव्रजन प्रमाण पत्र पंजीयन केंद्रों के माध्यम से दिए जायेंगे।
- प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरांत अंकपत्र/ प्रमाण पत्र में नाम/ पिता का नाम/ माता का नाम/ जन्म तिथि इत्यादि के संबंध में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो इनमें सुधार हेतु एक आवेदन-पत्र पंजीयन केंद्र के समन्वयक द्वारा अग्रसारित करवा कर बोर्ड में जमा करना चाहिए। इसके साथ मूल अंक पत्र को भी जमा कराना होगा ताकि उनके स्थान पर अपेक्षित सुधार के उपरांत अंक पत्र निर्गत कर उपलब्ध कराया जा सके।
- आंशिक पंजीयन (Partial Registration) की स्थिति परीक्षा देने पर शिक्षार्थी को अलग से प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा क्योंकि उससे संबंधित बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र पहले ही निर्गत किया जा चुका है। केवल अंक पत्र दिया जाएगा।
- जब तक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम पूरा करके संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है तब तक उसे प्रव्रजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

7.8 उत्तीर्ण विषयों के अंकों को संधारित करना (Maintaining the marks of passed subject) :

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड वर्ष में दो बार परीक्षायें आयोजित करता है। शिक्षार्थीगण पंजीयन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि में कुल 9 बार परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों के अंकों को विद्यार्थी द्वारा पंजीयन के 05 विषयों में उत्तीर्ण होने तक क्रेडिट के रूप में जमा किया जाता है।

माध्यमिक स्तरीय परीक्षा में प्रायोगिक विषयों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा को एक ही

Scanned with OKEN Scanner

इकाई में रखा गया है और उस विषय की दोनों परीक्षाओं के लब्धांकों के न्यूनतम योग 30(तीस) को ही उत्तीर्णता का आधार माना गया है। इसलिए प्रायोगिक विषय/विषयों की पुन: परीक्षा देने की स्थिति में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही परीक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा।

उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा में प्रायोगिक विषयों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पत्रों में पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अत: इस परीक्षा में शिक्षार्थी सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही परीक्षाओं में जैसी स्थिति को पृथकत: परीक्षा शुल्क देकर संबंधित परीक्षा में सम्मिलत हो सकता है। उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में यदि कोई शिक्षार्थी प्रायोगिक विषय की प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है और सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक को जमा करा लिया जाएगा तथा अगली परीक्षा में वह केवल सैद्धांतिक परीक्षा में ही बैठ सकता है तथा यदि वह प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे केवल प्रायोगिक परीक्षा में ही बैठना होगा। यदि वह अच्छे अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से पुन: प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो वह प्रायोगिक परीक्षा भी दे सकता है और दोनों परीक्षाओं में से प्राप्त अधिक प्राप्तांक ही उसके परीक्षाफल में दर्शाया जाएगा। उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने पर मात्र प्रायोगिक परीक्षा का शुल्क तथा सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने पर मात्र सैद्धांतिक परीक्षा का शुल्क जमा करना होगा। सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर दोनों का शुल्क जमा करना होगा।

7.9 लब्धांकों में सुधार (Improvement of Marks Obtained):

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त शिक्षार्थी को उन विषयों में पुन: परीक्षा देने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत शिक्षार्थि पुन: परीक्षार्थी हेतु आवेदन पत्र भरकर शुल्क जमा करेगा। ऐसा अवसर पुन: पंजीयन कराने के बाद मात्र एक बार दिया जायेगा। लब्धांकों में सुधार होने पर उसे केवल लब्धांक पत्र ही दिया जाएगा। पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्र बना रहेगा।

7.10 उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों की पुनर्गणना (Recalculation of Marks Obtained in Answer books):

यदि कोई शिक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ है और अपने परीक्षा के परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो वह परीक्षा परिणाम के घोषित होने के 30 दिनों के भीतर किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना के लिए निर्धारित शुल्क रू0 200/- प्रति विषय (बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से) के साथ आवेदन कर सकता है।

- इस प्रावधान के अंतर्गत की गई पुनर्गणना के फलस्वरूप संशोधित अंक (कम अथवा अधिक) ही अंतिम लब्धांक माना जाएगा और इसकी सूचना संबंधित शिक्षार्थी एवं केंद्र को दे दी जाएगी।
- पुनर्गणना का कार्य शिक्षार्थी से प्राप्त आवेदन के 45 दिनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

- यह उल्लेखनिय है कि पुनर्गणना के अंतर्गत मात्र तीन कार्य ही किए जाते हैं।
  - i. आवरण पृष्ठ पर अंकित प्रश्नवार अंकों का पुन: योग।
  - ii. अमूल्यांकित उत्तरों की जाँच (नियुक्त परीक्षक के द्वारा)।
  - iii. उत्तर पुस्तिका में प्रश्नवार लब्धांकों के योग का अंक फलक पर प्रधान परीक्षक के द्वारा सही रूप में अंकित रहने की जाँच।

शिक्षार्थियों को इसके लिए प्रति विषय 200/- रूपये का शुल्क आवेदन पत्र के साथ देना होगा। शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के रूप में CEO, BBOSE के नाम से PATNA में देय होना चाहिए।

7.11 अन्यान्य शुल्क (Other Fees):

- **प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति- शुल्क रू0 100/-**

  प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु शिक्षार्थी को साक्ष्य के रूप में प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के द्वारा निर्गत शपथ-पत्र की मूलप्रति बोर्ड कार्यालय को जमा कराना होगा। प्रमाण पत्र के गुम हो जाने की स्थिति में संबंधित थाना में किए गए F.I.R (First Information Report) की मूलप्रति बोर्ड कार्यालय में जमा कराना होगा।

  शिक्षार्थी द्वारा सादे कागज पर आवेदन अपने संबंधित अध्ययन केंद्र से अग्रसारित कराकर समस्त कागजातों के साथ बोर्ड कार्यालय को प्राप्त कराना होगा।

- **अंक तालिका की द्वितीय प्रति- शुल्क राशि रू0 100/-**

  शिक्षार्थी प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ अपने आवेदन को संबंधित अध्ययन केन्द्र के समन्वयक से अग्रसारित कराकर समस्त कागजातों के साथ बोर्ड कार्यालय को प्राप्त कराना होगा।

नोट:- नकद भुगतान के लिए BBOSE के द्वारा राशि की प्राप्ति रसीद दी जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

निबंधन संख्या पी.टी.-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1933 (श0)

(सं0 पटना 398) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2011

सं0 15/पी 5-07 /10-420

मानव संसाधन विभाग

संकल्प

15 फरवरी 2011

विषय:- विद्यालयी एवं व्यवसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्कों को मुक्त विद्यालयी शिक्षा'' के माध्यम से शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 'बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड' स्थापित करने के संबंध में।

विद्यालयी एवं व्यवसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्कों को ''मुक्त विद्यालयी शिक्षा'' के माध्यम से शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' स्थापित करने का बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

देश एवं राज्य में भारी संख्या में बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्क, औपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से कतिपय सामाजिक, आर्थिक एवं भौगौलिक कारणों से बाहर है। ऐसे सभी शिक्षित रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ''दुरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली'' एक सशक्त माध्यम के रूप में पुरे देश में उभरी है। यह उल्लेखनीय है कि सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के पश्चात् एवं ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के आरंभ होने के बाद, औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर दबाव और अधिक बढ़ेगा। इस दबाव के कारण उत्पन्न मांग की पूर्ति में यह बोर्ड सार्थक भूमिका निभाएगा।

''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' के संबंध में मुख्य अंश निम्नवत है-

(क) इस संस्था का नाम ''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' होगा।

(ख) इस नाम की संस्था को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर स्थापित किया जायेगा।

(ग) इसका संचालन सामान्य परिषद् एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से होगा।

(घ) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, निदेशक, उप-निदेशक आदि के पद राज्य सरकार के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के अधार पर प्रतिनियुक्ति से भरे जायेंगे।

(ड.) सहायक निदेशक, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, कम्प्युटर ऑपरेटर, रोकड़पाल, आदेशपाल आदि राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति/सीधी नियुक्ति/संविदा के अधार पर रखें जायेंगे।

यह बोर्ड अन्य औपचारिक विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के समतुल्य होगा एवं प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं डिग्री पूर्व तक की सामान्य एवं व्यवसायिक शिक्षा ''मुक्त एवं दूरस्थ विद्यालीय प्रणाली के माध्यम से प्रदान करेगा। इसके माध्यम से आवेदकों का समान्य एवं व्यवसायिक शिक्षा के विषयों में नामांकन किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

इन विषयों में शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद यह बोर्ड उनकी परीक्षा लेगा एवं मुल्यांकन के पश्चात छात्र/छात्राओं को प्रमाण-पत्र निर्गत करने का कार्य करेगा जिससे इसे एक ''शिक्षा बोर्ड'' के रूप में आय प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड मानव संसाधन विकास विभाग एवं विभाग के संस्थाओं द्वारा दिए गए कार्यक्रमों का संचालन भी करेगा।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के एसोशिएसन में अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सामान्य निकाय, कार्यकारी बोर्ड होंगे। सोसायटी के प्राधिकार एवं समितियां भी होगी। सामान्य निकाय के सदस्यों में मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, प्रधान सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बिहार सरकार द्वारा नामित एक शिक्षाविद्, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा आदि होंगे। सदस्यता की शर्तें भी निर्धारित की गई है।

सामान्य निकाय अन्य कार्यों के अलावा सोसायटी को सलाह देगा एवं वार्षिक समीक्षा प्रतिदिन की जाँच भी करेगा। सोसायटी का एक कार्यकारी बोर्ड भी होगा जिसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् एवं राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् आदि इसके सदस्य होंगे। सामान्यतया कार्यकारी बोर्ड में सोसायटी की सभी शक्तियाँ, नीति निर्धारण सहित निहित होगी जो इसके कार्यों को करने और इसे सुचारू एवं प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक हो। हालांकि यह अपने शक्तियों का प्रयोग इसके मिशन कार्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समान्य निकाय से समय-समय पर प्राप्त सलाह के आधार पर करेगी। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के दायित्यों का भी निर्धारण किया गया है।

सोसायटी उचित खातों एवं अन्य संबंधित रिकार्ड संधारित करेगी तथा रिसीट पेमेंट एकाउन्ट, देनदारी, परिसम्पतियों के वक्तव्य जैसा कि सरकार निर्धारित करे वार्षिक लेखा के लिए तैयार करेगी। सोसायटी के खातों का महालेखाकार कार्यालय बिहार के द्वारा विधिवत लेखा परीक्षण कर बिहार सरकार को वार्षिक रूप से अग्रसारित किया जायेगा और सरकार लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अंदर इसे विधान-सभा के पटल पर रखेगी।

सोसायटी के विघटन की स्थिति में बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का xxi) की धारा के प्रावधान के अनुसार विघटन सरकार के सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति से होगा एवं विघटन के पश्चात सोसायटी की परिसंपतियाँ एवं देनदारियाँ राज्य सरकार में समाहित हो जायेंगी। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंदर सभी उपबंध जैसा कि बिहार राज्य के अंदर लागू होते है इस सोसायटी पर लागू होंगे।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के एसोशिएसन का ज्ञापन में बोर्ड के लक्ष्य उद्देश्य एवं कार्यों की परिधी परिभाषित की गई है। बोर्ड सामान्य व्यावसायिक एवं सतत शिक्षा के विकास के लिए पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित करेगा जो स्नातक स्तर के नीचे (सर्टिफिकेट/डिप्लोमा) के स्तर तक का प्रमाण पत्र दें। बोर्ड मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं मुक्त शिक्षण के क्षेत्र में शोध, नवाचार एवं प्रयोग की जिम्मेदारी लेगा तथा प्रमाणिक नवाचार गतिविधियों को बिहार एवं अन्य राज्यों में प्रसारित करेगा। यह छात्रों के पंजीकरण, परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता परीक्षा में उनकी उपस्थिति, परीक्षा का संचालन क्रेडिट ट्रांसफर एवं सोसायटी के शिक्षण परीक्षा तथा प्रमाण पत्र देने का कार्य के संचालन के लिए सोसायटी में इन कार्यों की पूर्ति हेतु अनुकूल एवं आवश्यक नियमों एवं शर्तों का निर्धारण करना एवं विहित करने के अलावा अन्य कार्य भी करेगा।

सोसायटी के सामान्य निकाय के अध्यक्ष मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग बिहार सरकार होंगे। अन्य सदस्यों में प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग एवं वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् एन0सी0ई0आर0टी0, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, कुलपति नालान्दा मुक्त विश्वविद्यालय कुलपति चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना, एस0एल0एम0ए0 प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक होंगे।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजा जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिन्हाज आलम,
सरकार के विशेष सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 398-571+200-डी0टीपी0।
Website : http://egazette.bih.nic.in

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-2

भारतीय विश्वविद्यालय संघ
ए.आई.यू. हाउस-16, कॉमरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नई दिल्ली - 110 002

Association of Indian Unitversities
AIU House - 16, Comrade Indrajit Gupta Marg
New Delhi - 110 002

No. : EVN (354)2012/
March 20, 2012

Mr, Dinesh Singh Bist.
CEO
Bihar Board of Open Schooling and Examination
Chanakya National Law School Campus
Meethapur, Patna

Dear Sir,

This has reference to your letter No, A13 dated 23rd Febuary,2012 on the parity of Secondary and Senior Secondary Examination Conducted by Bihar Board of Open Schooling and Examination (BBOSE).

AIU accords equivalence to 10-year Secondary and 12-year Senior Secondary Higher Secondary / Intermediate / Pre-University examinations conducted by the Boards established by the State/Central Government (s) and approved by the Council of Boards of School Education in India (COBSE) Delhi.

We have noted that the name of the Bihar Board of Open Schooling and Examination, Patna is has been included in the approved list of COBSE .

The Academic Stream Examinations Conducted by BBOSE will be accepted at par with Higher School Certificate Examination of National Board of Open Schooling (NIOS), Provided the eligibility requirements, course curriculum evaluation and examination methodology. No. of Subjects etc. remains the same.

Kindly also let us know as to whether or not, the Senior Secondary Examination of BBOSE will be accepted at par by the Universities of Bihar for the purpose of admission to Higher studies as well as for employment.

Thanking you,
Yours faithfully

Section Officer (Evaluation)

Phone : 23230059, 23231097, 23232429, 23232435, 23233090
e-mail publicationsales@aluweb.org. sgoffice@aluweb.org. info@aluweb.org.
Website : http//www.aluweb.org Fax (91)-011-23232131

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल

Council of Boards of School Education of India

6H BigJo's Tower, A-8 Netaji Subhash Place, Ring Road, Delhi - 110034

Mr. Vineet Joshi, IAS
President
off. (011) 22467263

Prof. D.V. Sharma
General Secretary
Off. (011) 27351264
Res. (011) 27311929

Ref. No. COBSE/C. 66/2011

Dear Shri Bist,

Subject : Grant of COBSE membership to BBOSE

This is Continuation of this office letter dated 11 January 2012 conveying approval of the competent authority to the grant of membership of COBSE to BBOSE.

We welcome BBOSE as member of COBSE and the Certificates issued by Bihar Board of Open Schooling & Examination, Patna will be treated as recognized by our member boards. The name of BBOSE will be included in the next issue of the COBSE Telephone Directory.

Yours sincerely

D V Sharma

(D.V.Sharma)
General Secretory

Shri D.S. Bist
Chief Executive Officer
Bihar Board of Open Schooling & Examination
Nyaya Nagar, Chanakya National Law Univ, Campus
Mithapur, Patna- 800001

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

F 2-35/2011 School-3
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy

Important

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 24 April 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Recognition of certificates/qualifications awarded by State Open Schools (SOS) for the purpose of employment in Central Government Offices

Please refer to MHRD O.M. of even no. dated 7th September, 2012 (Copy enclosed) on the subject mentioned above. Para 3 of the said O.M. is withdrawn/cancelled and is substituted as under.

KN 1427 22.5.17

"The matter has been considered in consultation with National Institute of Open Schooling (NIOS) which is an autonomous body of MHRD. NIOS has informed that the Rajasthan SOS, Jaipur and APOSS are recognised Boards of secondary and senior secondary education. As regards validity of their certificates for employment purposes, NIOS has informed that concerned APOSS and Rajasthan SOS, Jaipur and its members and their courses/certificates are valid for further studies and appointment in the Central and State Government Departments. "

2. It has come to notice that Council of Boards of School Education in India (COBSE) has been functioning without any authorisation from MHRD using the name of Ministry and trying to build such an image as if COBSE, is an autonomous body under MHRD COBSE claims that it grants membership to the Boards which are set up by an Act of Parliament or State Legislature or by Executive order of Central/State Government. These bodies don't require any kind of membership of COBSE.

3. COBSE also claims that it is responsible for verifying genuineness/recognition of School Education Board in India. However, It is pertinent to note that COBSE is a private organisation and its membership is voluntary and COBSE has not been established by this Ministry. Moreover, membership of COBSE does not automatically grant the status of recognised Board upon any member Board.

(D.K.Goel)
Ds (SS/SGh.3)
Telefax: 011 -23074113
Email : dk.goel@nic.in

Encl.: As above

All Education Board.

Scanned with OKEN Scanner

The Joint Director Estt. (N)-II,
Railway Board, Ministry of Railways,
Room No. 234, Rail Bhawan, New Delhi.

Copy to:

1) The Under Secretary DOPT w.r.t. their O.M. No. 14021/1/2012-Estt.D dated 20.1.2012, North Block, New Delhi

2) **The Principal secretary, school and sanskrit Education, 2-2A, Jhalana During Jaipur-302004 w.r.t. their letter no. F.8(28)/Academics/2012 dated 13th June, 2012.**

3) **The Principal Secretary to the Government of Andhra Pradesh, School Education (PE) Department, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad-500022.**

Scanned with OKEN Scanner

J.. N0/18/12

No. F. 2-35/2011 School.3
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
School-3 Section

'B' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi,
Dated, the 7th September, 2012

Office Memorandum

Subject: Recognition of certificates/qualifications awarded by State Open Schools (SOS) for the purpose of employment in Central Govt Offices-

The undersigned is directed to refer to Railway Board's letter No.E(NG)-II/2004/RR-1/14 dated 16.1.2012, forwarded by Department of personnel & Training , seeking clarification whether Qualifications/certificates awarded by various State Open Schools (SOS) including Rajasthan State Open School, Jaipur and Andhra Pradesh Open Schooling Society (APOSS), are recognized for the purpose of employment in Central Government offices or.

2. Ministry of Human Resource Development had granted recognition to the Central Board of Secondary Education (CBSE) and national Institute of Open Schooling (NIOS). The State Boards are set up by an Act of State Legislature or by an executive order of the State Government and are responsible to the respective State

3. The matter has been consulted with National Institute of Open Schooling (NIOS) which is an autonomous body of MHRD and Concil of Boards of School Education in India (COBSE), an Association of national and State School Education Boards. NIOS has informed that the Rajasthan SOS, Jaipur and APOSS are recognized Boards of secondary and senior secondary education As regards Validity of their certificates for employment purposes. it may be got certified form the respective State Open Schools. (COBSE is responsible for verifying genuiness / recognition of School Education Boards in India). It grants membership to Boards/Institutes that are set up by an Act of Parliament or State Legislature or an executive order of the Central/ State Governments and follow the national Curriculum Framework, 2005 (NFC-2005) . The certificates issued by its member Boards are equivalent to any other board across the country. It has informed that APOSS and Rajasthan SOS, Jaipur are its member and their courses are recognized

Scanned with OKEN Scanner

further studies and appointment in the Central and State Government departments

(D.K. Bhawsar)
Deputy Education Adviser
(Tel : 23384187)

53/08/12
17/9/12

Shri Harsha Dass
Joint Director Estt. (N)-II, Railway Board,
Ministry of Railways,
Room No.- 234, Rail Bhawan,
New Delhi

R. No.
23040340

Copy to

53/09/12
17/9/12

1. Shri Pushpender Kumar, US DOPT w.r.t. their OM No. 14021/1/2012- Estt. dated 20.1.2012 North Block, New Delhi

53/10/12

2. Principal Secretary (Kind attention Mr. Veenu Ructa), School and Sanskrit Education, 2-2A, Jhalana Dugri Jaipur-302004 w.r.t. their letter No. F. 8) 28)/Academic/2012 dated 13th June, 2012. By speed post

53/11/12

3. The Principal Secretary to the Government of Andhra Pradesh, School Education (PE) Department, Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad - 500022

By speed post

18/9

(D.K. Bhawsar)
Deputy Education Adviser
(Tel : 23384187)

3/9/12

J.P. JAT
N.W RLY
0141-2725845 Fax No

Scanned with OKEN Scanner

BIHAR BOARD OF OPEN SCHOOLING AND EXAMINATION, PATNA

परीक्षा आवेदन-पत्र (EXAMINATION APPLICATION FORM)

परीक्षा का सत्र : ☐☐☐☐ - ☐☐ माह ☐ (जून/दिसंबर भरें)

परीक्षा का प्रकार i. ☐ (a/b/c/ भरें) ii. ☐ (d/e/f/ भरें)

a. नियमित (Ragular) b. क्रेडिट स्थानांतरण (TOC) c. आंशिक (Partial)
d. लब्धांक सुधार हेतु (Marks Improvement) e. टुकड़े में (Compart) f. अनुत्तीर्ण (Fail)
नोट: लब्धांक सुधार केवल BBOSE के शिक्षार्थियों के लिए है। इसका उपयोग पंजीयन की तिथि से 5 वर्षों के अंदर केवल एक ही बार कर सकते हैं।

परीक्षा का स्तर : ☐ (माध्यमिक / उच्च माध्यमिक भरें)

1. शिक्षार्थी का नाम (Name of the Student) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें।

2. पिता का नाम (Father's Name) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें।

3. जन्म तिथि (Date of Birth) दिन ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

4. नामांकन संख्या (Enrollment No.)

5. मुख्य विषय कोड एवं नाम (Code & Name of Main Subjects)

i. ☐☐☐ .... ii. ☐☐☐ ....
iii. ☐☐☐ .... iv. ☐☐☐ ....
v. ☐☐☐ ....

6. अतिरिक्त विषय कोड एवं नाम (Code & Name of Extra Subjects)

i. ☐☐☐ .... ii. ☐☐☐ ....

शिक्षार्थी का फोटोग्राफ अध्ययन केन्द्र समन्वयक के द्वारा सत्यापित

7. शिक्षार्थी का मो० नं० (Mob. No.) अनिवार्य : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

शिक्षार्थी का हस्ताक्षर

8. शिक्षार्थी की घोषणा : उपर्युक्त सूचनायें मेरी जानकारी में सत्य हैं। (The above information is true to my knowledge.)

शिक्षार्थी का हस्ताक्षर (हिंदी में) (Signature of the Student in English)

अध्ययन केन्द्र के उपयोग हेतु

अध्ययन केन्द्र कोड : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण एवं सूचनायें अध्ययन केन्द्र में रक्षित अभिलेखों/दस्तावेजों के अनुसार सही है। इस आवेदन को जाँचोपरांत अग्रसारित किया जा रहा है।

शिक्षार्थी द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क :

कुल राशि

स्थान :......................................
तिथि :......................................

मोबाईल नं० अनिवार्य: ☐

अध्ययन केन्द्र समन्वयक का हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट : शिक्षार्थी का बोर्ड द्वारा जारी पंजीयन पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

बिहार राज्य गीत

मेरे भारत के कंठहार
तुझको शत् शत् वंदन बिहार
तू बाल्मीकि की रामायण
तू वैशाली का लोकतंत्र
तू बोधिसत्व की करूणा है
तू महावीर का शांति मंत्र
तू नालंदा का ज्ञानदीप
तू ही अक्षत चंदन बिहार
तू है अशोक की धर्मध्वजा
तू गुरूगोविन्द की वाणी है
तू आर्यभट्ट तू शेरशाह
तू कुंवर सिंह बलिदानी है
तू बापू की है कर्म भूमि
धरती का नंदन वन बिहार
तेरी गौरव गाथा अपूर्व
तू विश्व शांति का अग्रदूत
लौटेगा खोया स्वाभिमान
अब जाग चुके तेरे सपूत
अब तू माथे का विजय तिलक
तू आँखों का अंजन बिहार
तुझको शत् शत् वंदन बिहार
मेरे भारत के कंठहार।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना
Bihar Board of Open Schooling & Examination (BBOSE), Patna

Scanned with OKEN Scanner

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना।

BIHAR BOARD OF OPEN SCHOOLING & EXAMINATION(BBOSE), PATNA

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर
न्याय नगर, मीठापुर पटना - 800001

Chanakya National Law University Campus
Nyaya Nagar, Mithapur, Patna - 800001

Website : www.bbose.org
Email ID: info@bbose.org

Phone No.: 0612-2355668
Fax No.: 0612-2355662

बिहार सरकार

मूल्य : 50-00

Scanned with OKEN Scanner